कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

"वन धन भवन" सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर

फोन नंबर 0771- 2513100 से 2513110

E-mail: mfpfed.cg@nic.in **Website: www.cgmfpfed.org**

अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2024)-I दिनांक 05.12.2023

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 तेन्दू पत्ता सीजन में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ते के अग्रिम विक्रय हेतु

ऑनलाइन निविदा सूचना

1. प्राक्कथन

- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में तेन्दू पत्ता के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु, छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 की धारा 4 के अंतर्गत अभिकर्ता नियुक्त किया है।
- शासन के द्वारा वर्ष 2024 सीजन में संघ को अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं (जिसे इसके पश्चात् प्राथमिक समिति कहा गया है), जिनमें राज्य शासन एक अंशधारक है, के माध्यम से संबंधित प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों (जिसे इसके पश्चात् समिति कहा गया है), के क्षेत्रों में तेन्दू पत्तों का, जिला वनोपज सहकारी यूनियन (जिसे इसके पश्चात् जिला यूनियन कहा गया है), के पर्यवेक्षण में, संग्रहण कराने के निर्देश दिए गए हैं ।
- शासन के आदेशानुसार, संग्राहकों द्वारा संग्रहण केन्द्र अर्थात् फड़ पर (अ) शासकीय वन भूमि से तथा (ब) निजी तेन्दू पत्ता उत्पादक क्षेत्र द्वारा लाए गए तेन्दू पत्ते के लिए, राज्य शासन द्वारा निर्धारित क्रमशः (अ) प्रति मानक बोरे की संग्रहण दर (मजदूरी) तथा (ब) प्रति मानक बोरे का क्रय मूल्य समिति के द्वारा देकर तेन्दू पत्ता संग्रहित किया जायेगा और इस तेन्दू पत्ते को हरी हालत में प्राथमिक वनोपज समिति के द्वारा तत्संबंधित समिति के लिये नियुक्त अधिकृत क्रेता को परिदान दिया जावेगा तथा क्रेता के द्वारा परिदत्त पत्ते का उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण आदि उसके स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।

अतएव अब संघ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से उक्त संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ते के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों / पंजीकृत फर्मों / कंपनियों एवं अन्य से आनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदा सूचना (परिशिष्ट-I से XI तक तथा अनुसूची क तथा ख सहित) संघ की वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** तथा आनलाइन निविदा के पोर्टल **https://cgmfpfedtenders.abcprocure.com** से निम्नानुसार तिथि से डाउनलोड किये जा सकते हैं:-

निविदा चक्र	जिस तिथि से निविदा सूचना डाउनलोड की जा सकती हैं	आनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि	आनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	आनलाइन निविदा खोलने की तिथि
प्रथम	26.12.2023	08.01.2024	10.01.2024	10.01.2024
द्वितीय	22.01.2024	29.01.2024	31.01.2024	31.01.2024
तृतीय	07.02.2024	10.02.2024	13.02.2024	13.02.2024
चतुर्थ	19.02.2024	21.02.2024	23.02.2024	23.02.2024
पंचम्	29.02.2024	04.03.2024	06.03.2024	06.03.2024

परिशिष्ट-I
(निबंधन एवं शर्तें)

2. परिभाषायें, निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश-

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट-I में सम्मिलित "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी। ये "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश" इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं।

अनुसूची क तथा ख
(तेंदूपत्ता की लाट सूची)
व फड़ सूची

3. लाट लिस्ट एवं करार अवधि-

विभिन्न समितियों से संग्रहित / क्रय की जाने वाली मात्रा के, एवं इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची क (लाट सूची) तथा अनुसूची ख (फड़ सूची) में दर्शित तेंदूपत्ते के लाटों के क्रय के लिये दिनांक 31.03.2025 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती है।

4. निविदा पत्र आदि-

परिशिष्ट-II फार्म 1,2 एवं 3
(निविदा पत्र)
परिशिष्ट-III
(निविदाकार करारनामा)

(i) निविदा पत्र (परिशिष्ट-II फार्म 1, 2 एवं 3) तथा निविदाकार का करारनामा (परिशिष्ट-III) मय परिशिष्टों के संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट अथवा ऑन लाइन पोर्टल **https://cgmfpfedtenders.abcprocure.com** से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

(ii) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रुप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है।

5. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण-

(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार निविदाकार को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र में (निर्धारित स्थान पर) अंकित करना एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड की स्केन प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। व्यक्तिगत एवं प्रोपराईटर शीप की स्थिति में स्वयं या प्रोपराइटर का आधार कार्ड, भागीदार फर्म की स्थिति में दो भागीदारों का आधार कार्ड, कंपनी की स्थिति में 2 संचालकों का आधार कार्ड एवं अविभाजित हिन्दू परिवार (एच.यू.एफ) की स्थिति में कर्ता और एक व्यस्क परिवार सदस्य का आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।

परिशिष्ट-X
(निविदाकारों को आनलाइन)
निविदा भरने हेतु अनुदेश
(Time Schedule)
परिशिष्ट-XI

(iii) निविदाकारों को आनलाइन निविदायें भरने हेतु विस्तृत अनुदेश (परिशिष्ट-X) तथा विस्तृत Manual ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल **https://cgmfpfedtenders.abcprocure.com** में उपलब्ध होगा तथा आनलाइन निविदायें निर्धारित समयावधि Time Schedule (परिशिष्ट-XI) में दर्शित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत की जावेंगी।

(iv) निविदाकार को गत् 03 वर्षो के आयकर की विवरणी (Income Tax Return) ITR- V की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

यदि निविदाकार नवीन कम्पनी है, तो उस स्थिति में कम्पनी के संचालकों के आयकर की विवरणी; यदि निविदाकार नवीन हिन्दू अविभाजित परिवार है, तो उस स्थिति में कर्ता के आयकर की विवरणी; यदि निविदाकार नवीन भागीदार फर्म है, तो उस स्थिति में प्रत्येक भागीदार के आयकर की विवरणी एवं यदि निविदाकार नवीन प्रोपराईटरशीप फर्म है, तो उस स्थिति में प्रोपराईटर के आयकर की विवरणी दिया जाना अनिवार्य है ।

(v) निविदाकार को **(GSTIN)** सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है ।

6. निविदाओं का खोला जाना

प्राप्त निविदायें निर्धारित समयावधि Time Schedule (परिशिष्ट-XI) में अंकित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जावेंगी।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन-

परिशिष्ट-VII (निविदाकार वार आबंटित लाटों की सूची)
परिशिष्ट-VIII (सफल निविदाकारों की सूची)
परिशिष्ट-IX (असफल निविदाकारों की सूची)

(i) निविदा में लिये गये निर्णय अनुसार सफल निविदाकारों को आवंटित लाटों की सूची संघ की बेवसाइट पर परिशिष्ट-VII में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकारों की सूची एवं असफल निविदाकारों की सूची संघ की बेवसाइट **www.cgmfpfed.org** पर क्रमशः परिशिष्ट-VIII एवं परिशिष्ट-IX में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकार के प्रस्ताव स्वीकृत होने की सूचना ई-मेल द्वारा दी जावेगी और ऐसी स्वीकृति जारी होने की तिथि से सम्बंधित तेन्दू पत्ते के लाट के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार लाट का क्रेता माना जावेगा।

परिशिष्ट-IV (क्रेता का करारनामा)

(ii) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के **30 दिन अथवा 15/04/2024, जो भी पहले हो,** के अंदर, प्रत्येक लाट के लिए परिशिष्ट IV (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा संबंधित वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी के द्वारा **ऑनलाईन माध्यम से POST BID SALE MANAGEMENT SYSTEM Portal cgmf.project247.in में (Digital Signature Certificate) DSC** का उपयोग करते हुये (ऑनलाईन निविदा निष्पादन की शर्त क्रमांक 14 में दर्शित) निष्पादित करना होगा। निविदाकार के द्वारा 5000/- रूपये **एवं लागू GST** बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में वृत्त के मुख्य वन संरक्षक के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी। वृत्त के मुख्य वन संरक्षक हेतु निर्धारित 07 दिन की अवधि व्यतीत होने के उपरांत निविदाकार के द्वारा 5,000/- रूपये **एवं लागू GST** बतौर फीस अतिरिक्त जमा किये जाने पर प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अवधि वृद्धि हेतु संतोषजनक कारण प्रस्तुत करने पर क्रेता के आवेदन पर विचार करते हुये दिनांक **15.04.2024** तक की सीमा तक समय वृद्धि की जा सकेगी । यदि क्रेता द्वारा वन वृत्त कार्यालय में 07 दिन की अवधि वृद्धि हेतु 5,000/- रूपये **एवं लागू GST** बतौर फीस जमा नहीं किया गया हैं, एवं उनके द्वारा 10,000/- रूपये **एवं लागू GST** बतौर फीस जमा किये जाने पर **प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम निविदा चक्र** हेतु अवधि वृद्धि हेतु संतोषजनक कारण प्रस्तुत करने पर क्रेता को **अधिकतम** दिनांक **15.04.2024** तक की समय वृद्धि प्रदाय की जा सकती है । इस प्रकार 30वां दिन / 7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। 30 दिन / 07 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय / मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी।

प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चक्र की निविदा हेतु दिनांक **15.04.2024** तक करारनामा निष्पादन न करने पर और समय वृद्धि नहीं दी जावेगी एवं क्रेता करारनामा की शर्त क्रमांक **7(iii)** के तहत् कार्यवाही की जावेगी ।

(iii) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित लाट के क्रय मूल्य के 10% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और मुख्य वन संरक्षक द्वारा निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा, जो 3 वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि लाट / लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी परन्तु यदि ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा । यदि क्रेता चाहे तो क्रय मूल्य के 15% की राशि, सत्यंकार की राशि को सम्मिलित करते हुये, जमा कर वसूली एवं काली सूची में दर्ज होने सहित सभी पश्चातवर्ती दायित्वों से मुक्त हो सकता है।

8. **देय राशि का भुगतान-**

(अ) क्रेता देय राशि का भुगतान, क्रेता करारनामा के प्रावधानानुसार, चार बराबर किश्तों में निम्नांकित तिथियों को या उसके पूर्व करेगाः-

किश्त क्रमांक	तिथि
प्रथम	04-10-2024
द्वितीय	22-11-2024
तृतीय	06-01-2025
चतुर्थ	21-02-2025

(ब) **सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट-**

यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य, समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा। यदि अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहण होता है तो यह छूट संग्रहित मात्रा के लिये प्राप्त होगी।

9. **पत्तों का परिवहन / निकासी-**

किश्त / किश्तों के भुगतान के उपरांत पत्तों का परिवहन / निकासी परिशिष्ट-I एवं परिशिष्ट-IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा।

10. **परिशिष्ट-**

परिशिष्ट-I से III तथा अनुसूची क तथा ख, जिनका कि सन्दर्भ ऊपर दिया गया है तथा परिशिष्ट-VI से XI (परिशिष्ट II, III, V तथा VII से XI केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे) जो कि संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2024)-I दिनांक 05.12.2023 के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट है, उनको संदर्भ के लिये देखें।

11. **निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना-**

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा।

12. **क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में-**

हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी-

संबंधित निविदा / नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा / नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां (-), अधिहरित की गई सत्यंकार एवं प्रतिभूति निक्षेप से प्राप्त राशि।

13. **हिन्दी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ-**

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का हिन्दी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ
मर्यादित, रायपुर - 492007

परिशिष्ट - I

निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश जो निविदा सूचना क्रमांक ते.प (2024)-I दिनांक 05.12.2023 के भाग है

निविदा के निबंधन व शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश और निविदा सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं। ये निविदा सूचना के अभिन्न अंग होंगे।

1. **परिभाषाएं-**

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) **"अधिनियम"** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 (1964 का स. 29) से हैं।

(ii) **"अभिकर्ता"** से तात्पर्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंर्तगत नियुक्त अभिकर्त्ता से है।

(iii) **"देय राशि"** से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल निविदाकार को देनी होगी। अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहित / क्रय मात्रा का निविदा दर पर करों सहित क्रय मूल्य इसमें सम्मिलित होगा।

(iv) **"परिशिष्ट"** से तात्पर्य निविदा सूचना के परिशिष्ट से है।

(v) **"बकाया"** से अभिप्रेत है, निविदाकार के विरूद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग अथवा संघ को शोध्य है और जिसकी सूचना निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो,

(vi) **"संग्रहणकाल"** से तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष की अप्रैल से जून तक की अवधि से है,

(vii) **"मुख्य वन संरक्षक"** से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन महाप्रबंधक भी घोषित है,

(viii) **"जिला यूनियन"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,

(ix) **"वन मंडलाधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,

(x) **"संघ"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।

(xi) **"शासन"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है,

(xii) **"लाट"** से अभिप्रेत है, किसी प्राथमिक सहकारी समिति (राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्षेत्र को छोड़कर) क्षेत्र में संग्रहित होने वाला तेन्दू पत्ता।

(xiii) **"नियमावली"** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 से है।

(xiv) **"प्राथमिक समिति"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो।

(xv) **"क्रय क्षमता"** से तात्पर्य उस राशि से है जो इन शर्तों एवं निबंधनों की शर्त क्रमांक 5(II) के प्रावधानों के अनुसार मान्य की गई हो।

(xvi) **"क्रय मूल्य"** से तात्पर्य उस राशि से है, जो तेन्दू पत्ता लाटों की संग्रहित मानक बोरा में दर्शित मात्रा, को नीचे (xvii) की परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो।

(xvii) **"क्रय दर"** से तात्पर्य निविदाकार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति मानक बोरा निविदा दर से है, जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो।

(xviii) **"परिक्षेत्र अधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,

(xix) **"देय कर"** से तात्पर्य लाट के पत्तों के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय वस्तु एवं सेवा कर व अन्य सभी कर / उपकर आदि से है,

(xx) **"निविदा दर"** से तात्पर्य उस प्रति मानक बोरा दर (जिसमें वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य कोई कर / उपकर सम्मिलित नही हैं) से है जो निविदाकार विभिन्न लाटों के तेन्दू पत्ता के क्रय के लिए परिशिष्ट-II के Form II में दिए गए निविदा पत्र में अलग-अलग लाट के लिए प्रस्तावित करेगा।

(xxi) **"निविदाकार"** से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, तेंदू पत्ता क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे।

(xxii) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो उपर परिभाषित नहीं हैं, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं, अर्थ वही होगा जो उनके लिए कथित अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है।

(xxiii) **“मानक बोरा”** एक मानक बोरा का आशय 50 पत्तों की प्रति गड्डी मान से 1000 गड्डियों अर्थात् 50,000 पत्तों से है।

2. इकाईयों का विवरण-

इकाईयों का विवरण (नाम एवं सीमा) जिसमें से संग्रहण किया जाना है छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन, मुख्य मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ते.प/11001, दिनांक 26.11.1986 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों में दिया गया है।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना-

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के उपर लागू होते है निविदा सूचना एवं क्रेता करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे।

4. निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि-

(i) निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह / वे किस हैसियत से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है / कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में। भागीदारी फर्म

के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और निविदा पत्र पर उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्त्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे। पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति निविदा पत्र के साथ अपलोड की जायेगी जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी। जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो। मर्यादित कम्पनी की स्थिति में निविदा पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी को सर्टीफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन (Certificate of Incorporation) की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को निविदा अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, निविदा पत्र के साथ अपलोड किये जायेंगे जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी। अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तथा परिवार के समस्त सदस्यों की सूची निविदा पत्र के साथ अपलोड की जावेगी।

(ii) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्त्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा पत्र के साथ संलग्न करेगा। यदि निविदा पत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्त्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता हैं, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी। मुख्त्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोपराइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्त्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(iii) अवयस्क, दिवालिया, बकायादार अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अवैध मानी जावेंगी। यदि कोई व्यक्ति, प्रोपराईटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, अविभाजित हिन्दू परिवार (एच.यू. एफ) अगर काली सूची में दर्ज है तो यह माना जायेगा कि, काली सूची में दर्ज पार्टनरशिप फर्म के समस्त पार्टनर, कम्पनी के समस्त संचालक एवं अविभाजित हिन्दू परिवार का कर्ता एवं समस्त सदस्य, भी काली सूची में है।

उपरोक्त काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर अन्य किसी प्रोपराइट्री फर्म, पार्टनरशिप फर्म एवं कम्पनी में सम्मिलित होने की स्थिति में वह फर्म भी काली सूची में दर्ज मानी जावेगी।

(iv) ऐसा निविदाकार जो कि बकायादार है, निविदा पत्र के साथ किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में रायपुर में देय हो, बकाया का भुगतान संघ कार्यालय या संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में निविदा खुलने के पूर्व कर सकता है, परन्तु यदि वह ऐसा करने में चूक करता है, तो उसके द्वारा निविदा के साथ सत्यंकार के रूप में जमा राशि से बकाया राशि को काट कर शेष राशि के आधार पर उसकी क्रय क्षमता की गणना कर उसकी निविदा पर विचार किया जावेगा।

(v) निविदाकार का निविदा देने की तिथि को अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत विनिर्माता / निर्यातक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है और यदि वह क्रेता नियुक्त किया जाता है तो उसे करार समाप्ति की तिथि तक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निविदा पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर उस वर्ष जिसमें निविदा दी गई हैं के पंजीयन प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक तथा वन मंडल का उल्लेख करना आवश्यक है एवं निविदा के साथ वन मंडलाधिकारी द्वारा दिये गए पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।

5. **सत्यंकार की राशि-**

(i) प्रत्येक निविदा, सत्यंकार की राशि, जो निविदा पत्र में दर्शित क्रय क्षमता की 10% होगी, के साथ शर्त क्रमांक 13 (I) में दर्शाये विवरण अनुसार प्रस्तुत की जावेगी। अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर निविदा संक्षिप्त रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी।

(ii) क्रय क्षमता सत्यंकार की राशि की 10 गुना होगी और इस प्रकार मान्य की गई क्रय क्षमता के आधार पर निविदा पर विचार किया जायेगा।

(iii) सफल निविदाकारों की सूची एवं असफल निविदाकारों की सूची संघ की बेवसाइट **www.cgmfpfed.org** पर क्रमशः परिशिष्ट-VIII एवं परिशिष्ट-IX में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 9(i) के अनुसार क्रय मूल्य की 10% की सीमा तक समायोजित की जावेगी।

(iv) उपरोक्तानुसार प्रतिभूति के रूप में समायोजित करने के उपरांत शेष सत्यंकार की राशि तथा असफल निविदाकारों की पूर्ण सत्यंकार राशि परिणाम घोषित होने के उपरांत निविदा पत्र (Annexure-II Form No. 1 के क्रमांक-5) में दर्शायी बैंक खाते में वापस की जावेगी। बैंक खाते का विवरण निविदाकार द्वारा गलत भरने के कारण राशि निविदाकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति पर निविदाकार पूर्णतः जिम्मेदार होगा। क्रेता के आवेदन पर भी अन्य किसी बैंक खाते में राशि वापस नहीं की जावेगी। अगले चक्र की निविदा हेतु निविदाकार को सत्यंकार की राशि पुनः जमा करना होगी।

(v) असफल निविदाकारों की सत्यंकार की राशि उन्हें निविदा परिणाम घोषित होने के उपरांत वापस की जावेगी।

(vi) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6. **निविदा भरने की प्रक्रिया-**

(i) एक अथवा एक से अधिक लाटों के क्रय के लिए एक निविदाकार एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कोई निविदाकार एक से अधिक निविदा प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

(ii) निविदा केवल ऑन लाइन पोर्टल **https://cgmfpfedtenders.abcprocure.com** पर प्रस्तुत की जा सकेगी अन्यथा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जावेगी।

(iii) निविदाकार को निविदा पत्र में प्रत्येक लाट के क्रय के लिए अपनी प्राथमिकता के अनुसार अलग-अलग क्रय दर देना होगी। निविदाकार तेन्दू पत्ता के प्रत्येक लाट के लिए प्रति मानक बोरा दर, जिसमें कर / उपकर सम्मिलित नहीं होंगे, अपने निविदा पत्र में प्रस्तावित करेगा। प्रस्ताव में प्रति मानक बोरा दर दर्शाना होगी, एकमुश्त रकम नहीं। निविदा दर पूर्ण रूपये में दी जावेगी।

(iv) निविदाकार को अपने प्रथम प्राथमिकता वाले लाट के विवरण को अनुक्रमांक-1 पर, दूसरी प्राथमिकता वाले लाट के विवरण को अनुक्रमांक-2 पर और तद्नुसार निविदा पत्र (परिशिष्ट II, Form 2) में अंकित करना चाहिये। निविदाकार के द्वारा निविदा पत्र में दर्शाये गये प्राथमिकता क्रम में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं करने दिया जावेगा।

(v) विभिन्न लाटों के लिए प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत किये जा सकेंगे कि लाटों, जिनके लिए प्रस्ताव दिये गये हैं, का कुल क्रय मूल्य क्रय क्षमता के **12.5 गुना** से अधिक न हो परन्तु प्रस्ताव केवल क्रय क्षमता तक ही स्वीकृत किये जावेंगे।

(vi) यदि प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का कुल क्रय मूल्य क्रय क्षमता के **12.5 गुना** से अधिक है तो ऐसे प्रस्तावों (प्राथमिकता क्रम के अनुसार) जो इस सीमा से अधिक है, पर विचार नहीं किया जावेगा।

(vii) यदि कोई निविदाकार एक लाट के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसके द्वारा दिये गये उच्चतम दर पर ही विचार किया जावेगा और निचली दरों के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये। यदि एक लाट के लिए निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों की दरें समान है, तो केवल उच्चतम प्राथमिकता के प्रस्ताव पर ही विचार किया जावेगा और निचली प्राथमिकता के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये।

(viii) यदि निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत निविदा में किसी लाट के प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं अर्थात् वह प्रस्ताव किस विशिष्ट लाट के लिए दिया गया है अथवा यदि किसी लाट की पहचान के संबंध में कोई त्रुटि की गई है तो उस लाट के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

(ix) निविदाकार को अपने निविदा पत्र में अपना पूर्ण एवं सही डाक का पता, दूरभाष क्रमांक एवं ई-मेल का पता इस हेतु, निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। इस पते पर ई-मेल से भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किये गये माने जावेंगे। निविदाकार को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है। यदि निविदाकार के द्वारा अंकित किया गया डाक का पता या ई-मेल का पता गलत पाया जाता है तो उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

(x) निविदाकार को निविदा पत्र के प्रत्येक फार्म (Templates) को भरना होगा और उसके साथ समस्त आवश्यक अभिलेख एवं सम्यक् रूप से निष्पादित किये गये निविदाकार के करारनामे को अपलोड कर, निविदा सूचना की शर्त क्रमांक-5 के अनुसार उसे प्रस्तुत करना होगा। सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा तथा अन्य अभिलेख निविदा पत्र के साथ अपलोड न किये जाने पर, निविदा विचार किये जाने योग्य नहीं होगी।

7. प्रस्तावों को वापिस लिया जाना आदि-

निविदा के Final Submission उपरांत कोई भी निविदाकार किसी लाट / लाटों के लिये अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने प्रस्ताव तथा निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता। इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट / लाटों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाट की मानक बोरा मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 10% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली-सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

8. निविदाओं को स्वीकार किया जाना-

(i) शासन / संघ निविदा पत्र में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के प्रस्ताव / प्रस्तावों को बिना कारण दर्शाये स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ii) विभिन्न निविदाकारों को लाटों का आवंटन करने के लिए शासन / संघ विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न-भिन्न कट आफ स्तर / अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

(iii) यदि किसी विशिष्ट लाट के लिए एक से अधिक निविदाकारों के द्वारा एक ही दर प्रस्तावित की जाती है तो उस लाट का आवंटन निविदाकारों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जावेगा। यदि निविदा दर एवं प्राथमिकता क्रम दोनों एक समान हों तो लाट के आवंटन की प्राथमिकता संघ द्वारा लाटरी निकाल कर तय की जावेगी।

(iv) निविदाकार ऐसे लाट / लाटों को जो कि उसकी क्रय क्षमता की सीमा के अंदर आते है और जिनके प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा।

9. प्रतिभूति निक्षेप-

(i) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों की अधिसूचित मात्राा के आधार पर कुल क्रय मूल्य की 25% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगा और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 5 के अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि क्रय मूल्य के 10% की सीमा तक उपलब्ध है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष (15%) प्रतिभूति की राशि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय निर्मोचित सावधि जमा रसीद (Discharged Fixed Deposit Receipt) जिस पर पीछे निर्धारित स्थान पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर हों अथवा किसी भी अनुसूचित बैंक की दिनांक 30.04.2025 तक की अवधि की बैंक गारंटी परिशिष्ट-V में दर्शाये प्रारूप में मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।

यदि क्रेता चाहे तो 15% प्रतिभूति निक्षेप की राशि को दो पृथक FDR/BG के माध्यम से जमा कर सकता है। एक FDR/BG 5% का एवं दूसरा FDR/BG 10% का होगा।

यदि क्रेता चाहे तो बैंक गारंटी के स्थान पर अपने स्वयं के खाते का संघ के प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर के नाम का दिनांक 15 अप्रैल का Post dated क्रास चेक (Payable at Raipur) जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा का होगा, जमा कर करारनामा निष्पादित कर सकता है तथा बैंक गारंटी दिनांक 15.04.2024 तक जमा कर चेक वापस प्राप्त कर सकता है। दिनांक 15.04.2024 तक क्रेता द्वारा बैंक गारंटी जमा न करने पर चेक संघ के खाते में जमा कर लिया जावेगा। बैंक द्वारा जमा चेक अनादरित किया जाना क्रेता करारनामा का उल्लंघन होगा।

ऐसी दशा में क्रेता के विरूद्ध करारनामा की शर्त क्रमांक 13(i) के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

(ii) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधो के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित की जा सकती है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।

(iii) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी।

(iv) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि (बैंक गारंटी को छोड़कर) जैसी भी स्थिति हो, में से क्रय मूल्य की 5 प्रतिशत की राशि बैंक गारंटी या नगद राशि, जैसा कि क्रेता चाहे, रोकते हुए, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् गोदाम से प्रदाय की दशा में अंतिम किश्त के विरूध्द तथा फड़ से पत्ता मुक्त होने की दशा में अंतिम भुगतान के विरूद्ध समायोजित कर ली जावेगी।

(v) उपरोक्तानुसार उप क्रडिका (iv) में दर्शाये समायोजन के उपरान्त अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की बैंक गारंटी /नगद राशि वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि, कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् क्रेता को वापस कर दी जावेगी।

10. तेन्दू पत्ते का परिवहन / निकासी-

(i) तेंदूपत्ते को परिवहन / निकासी की अनुमति संग्रहित मात्रा के अनुसार देय किश्त की पूर्ण राशि के भुगतान होने पर ही क्रेता को दी जावेगी।

(ii) देय प्रत्येक किश्त की राशि के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् लाट की कुल संग्रहित मात्रा की एक चौथाई मात्रा को परिवहन / निकासी की अनुमति दी जावेगी।

(iii) भंडारण अवधि के दौरान या पत्ते की निकासी के समय लाट में से बोरे खोलकर तेंदूपत्ते की छटांई करने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा निकासी छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दी जावेगी जिस

ओर से निकासी प्रारम्भ की गयी हो। यदि निरीक्षण के दौरान गोदाम में तेन्दू पत्ते की छंटाई या छल्ली के एक से अधिक ओर के निकासी के प्रमाण मिलते हैं तो यह क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामा का स्पष्ट उल्लंघन माना जावेगा।

11. अधिनियम आदि का उल्लंघन-

ऐसा क्रेता जो अधिनियम, नियमावली और / अथवा क्रेता करारनामे की किन्ही शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अंर्तगत वह दंडित किया जाता है या क्रेता करारनामा समाप्त किया जाता है, को 05 वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में मुख्य वन संरक्षक के द्वारा दर्ज किया जा सकेगा।

12. करारनामें का हस्तांतरण-

क्रेता संघ / मुख्य वन संरक्षक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति / पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण संघ / संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा निम्न शर्त पर किया जा सकेगा

i. क्रेता मुख्य वन संरक्षक के समक्ष लॉट हस्तांतरण हेतु आवेदन जिसमें यह उल्लेख हो किस कारण से लॉट का हस्तांतरण करना चाहता है, प्रस्तुत करेगा। मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस आवेदन पर संघ से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही हस्तांतरण अनुमति क्रेता को जारी की जावेगी ;

ii. जिस व्यक्ति/पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह लॉट के क्रय मूल्य का **0.75%** या राशि रू. **50,000/-** जो भी अधिक हो एवं इस पर देय कर की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा

iii. हस्तांतरण ग्रहिता द्वारा लॉट के अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की न्यूनतम 25% राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जिसमें से न्यूनतम 10% राशि शर्त क्रमांक 13(ii) में दर्शाये विवरण अनुसार अदा की जाएगी तथा अवशेष प्रतिभूति की राशि प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय निर्मोचित सावधि जमा रसीद (Discharged Fixed Deposit Receipt) जिस पर पीछे निर्धारित स्थान पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर हों अथवा किसी भी अनुसूचित बैंक की दिनांक 30.04.2025 तक की अवधि की बैंक गारंटी परिशिष्ट (V) में दर्शाये प्रारूप में मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत करना होगी। प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी की राशि/निर्मोचित सावधि जमा (Discharged Fixed Deposit Receipt) की राशि क्रय मूल्य के 15% होगी।

iv. हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तातरणग्रहिता की सहमति, अधिनियम के तहत् विनिर्माता/ निर्यातक के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं उपरोक्तानुसार लॉट के क्रय मूल्य का 0.75 प्रतिशत या राशि रू. 50,000/- जो भी अधिक एवं इस पर देय कर की राशि हस्तांतरण शुल्क के आधार पर परिगणित, क्रय मूल्य की 25% प्रतिभूति निक्षेप की राशि यदि क्रेता चाहे तो सम्पूर्ण 25% प्रतिभूति निक्षेप की राशि चालान के माध्यम से Post Bid Sale Management System में ऑनलाइन जमा करा सकता है अथवा 10% प्रतिभूति निक्षेप की राशि चालान के माध्यम से जमा करा सकता है तथा 15 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप की राशि बैंक गारंटी/ एफ.डी.आर के माध्यम से जमा करना होगा । बैंक गारंटी अथवा सावधि जमा रसीद (FDR) संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में दिनांक 30.04.2024 के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिये।

v. ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरण कर्ता लॉट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में संबंधित लॉट का क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है।

vi. क्रेता करारनामा का हस्तांतरण की अनुमति- क्रेता करारनामा का हस्तांतरण अधिकतम दो बार किया जा सकेगा-

क. पहला करारनामा निष्पादित होने के उपरांत तथा 30.04.2024 तक या इसके पूर्व

ख. दूसरा 16.07.2024 से प्रथम किश्त की देय तिथि के पूर्व ।

vii. **दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 15.07.2024 तक हस्तांतरण की सुविधा प्राप्त नहीं होगी।**

viii. **दिनांक 16.07.2024 से प्रथम किश्त की तिथि के पूर्व हस्तांतरण करने पर हस्तांतरणग्रहिता को हस्तांतरण शुल्क एवं लॉट के सम्पूर्ण क्रयमूल्य की राशि का करों सहित भुगतान हस्तांतरण आवेदन के साथ करना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लॉट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक हस्तांतरणग्रहिता क्रेता संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में संबंधित लॉट का क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं कर लेता है।**

प्रथम किश्त के अंतिम देय दिनांक से एवं इसके पश्चात् हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

ix. **02 क्रेताओं के मध्य हुये हस्तांतरण में तेन्दू पत्ता की गुणवत्ता के संबंध में संघ उत्तरदायी नहीं होगा।**

13. देय राशि की भुगतान की प्रक्रिया-

(i) निविदाकार द्वारा

निविदाकार को सत्यंकार (E.M.D) की राशि का भुगतान आनलाइन Payment Gateway Service Provider के माध्यम से ही करना होगा। निविदाकार द्वारा आनलाइन भुगतान निम्न में से किसी प्रकार से किया जा सकता है।

1. क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards)
   निविदाकार द्वारा क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards) के विकल्प का चयन करने के उपरांत Payment Gateway में दर्शाये निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।
2. नेट बैंकिग (Net Banking)
   निविदाकार केवल नेट बैंकिग सुविधा उपलब्ध बैंक के खाते से ही राशि आनलाइन ट्रांसफर कर सकता है। नेट बैंकिग के लिये कई बैंकों की सूची Payment Gateway में प्रदर्शित होगी। उसके बाद निविदाकार को अपने बैंक का चयन कर Payment Gateway में दर्शाये निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।
3. आर.टी.जी.एस. / एन.इ.एफ.टी (RTGS / NEFT)
   निविदाकार को संलग्न परिशिष्ट-X की कंडिका 2.2 में दर्शाये निर्देश (Instructions) के अनुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।

(ii) **निविदाकार द्वारा क्रेता नियुक्त होने पर**

क्रेता द्वारा राशि का भुगतान अपने किसी बैंक खाते से संघ के आई.सी.आई.सी.आई. बैंक खाता क्रमांक 016101015839 (ICIC0000161) पर Portal cgmf.project247.in में निम्न प्रक्रिया अनुसार चालान प्राप्त करने उपरांत ऑनलाइन आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य है। बिना चालान प्राप्त किये सीधे आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी.के माध्यम से राशि हस्तांतरण अमान्य रहेगी।

सभी क्रेताओं को उक्त सिस्टम हेतु आई.डी.पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा। सभी क्रेता Portal cgmf.project247.in में लॉगिन कर उनको आबंटित लॉटवार सूची देख सकते है।

यदि क्रेता को किसी भी लॉट से संबंधित भुगतान करना है तो लॉट सूची में क्लिक करे। क्लिक करने पर क्रेता को आबंटित लॉटवार सूची प्रदर्शित होगी। इस पेज पर किसी भी लॉट में क्लिक करने से उस लॉट से संबंधित जानकारी एवं विभिन्न प्रकार के भुगतान हेतु पेज खुलेगा।

1. **इस पेज पर क्रेता द्वारा PBSMS के माध्यम से आबंटित लॉट के लिये 15 प्रतिशत की प्रतिभूति निक्षेप की राशि प्रदर्शित होगी। यह राशि क्रेता द्वारा आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी अथवा बैंक गारण्टी/एफ.डी.आर./धनादेश के माध्यम से जमा किया जाना होगा। इस प्रकार बैंक गारंटी/एफ.डी.आर./धनादेश के माध्यम से राशि जमा होती है तब PBSMS में इसकी Scanned कॉपी अपलोड करनी होगी। तत्पश्चात् शर्त क्रमांक 14 के अनुसार क्रेता करारनामा निष्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।**

2. यदि क्रेता गोदाम का किराया जमा करना चाहता है तो इस पेज में संबंधित लॉट हेतु लगने वाला गोदाम किराया प्रदर्शित होगा तथा इसके साथ ही **Pay godown Rent** का बटन होगा इस बटन पर क्लिक कर क्रेता चालान प्राप्त कर अथवा आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से गोदाम किराया जमा कर सकता है।
3. यदि क्रेता प्रथम किश्त की राशि जमा करना चाहता है तो निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगीः-

i. अधिसूचित मात्राा से **10%** अधिक संग्रहण की स्थिति में क्रेता द्वारा अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की राशि यदि क्रेता चाहे तो सम्पूर्ण **25%** प्रतिभूति निक्षेप की राशि चालान के माध्यम से **Post Bid Sale Management System** में ऑनलाइन जमा करा सकता है अथवा **10%** प्रतिभूति निक्षेप की राशि चालान के माध्यम से करा सकता है तथा 15 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप की राशि बैंक गारंटी/एफ.डी.आर के माध्यम से जमा करना होगा

ii. संग्रहित एवं परिदत्त मात्रा से कम भण्डारण की स्थिति में क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की राशि जमा करने से पहले परिदत्त एवं भण्डारित मात्रा की अंतर की भुगतान राशि **Post Bid Sale Management System** के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।

iii. क्रेता द्वारा समस्त भुगतान के पूर्व संघ से **PBSMS** पोर्टल के माध्यम से ही आयकर छूट हेतु अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके पश्चात् लॉट के लिये क्रयमूल्य के **2% ABS (Access Benifit Sharing)** जमा कराना होगा। **ABS (Access Benifit Sharing)** की राशि ऑनलाइन माध्यम से अथवा बैंक गारण्टी /एफ.डी.आर. **Post Bid Sale Management System** के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।

iv. उपरोक्तानुसार कार्यवाही उपरांत केता को इसी पेज में प्रथम किश्त की राशि की जानकारी के आगे **Pay now** का बटन प्रदर्शित होगा। इस बटन पर क्लिक करके क्रेता चालान प्राप्त कर अथवा आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किश्त की राशि जमा कर सकता है। इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि जमा की जानी है।

v. चतुर्थ किश्त की राशि जमा करने हेतु पहले क्रेता को संघ से **PBSMS** पोर्टल के माध्यम से ही आयकर छूट हेतु अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके बाद **PBSMS** में प्रदर्शित चतुर्थ किश्त की भुगतान राशि को जिला यूनियन द्वारा समायोजन किया जावेगा। तत्पश्चात् क्रेता को चतुर्थ किश्त की राशि की जानकारी के आगे **Pay now** का बटन प्रदर्शित होगा। इस बटन पर क्लिक करके क्रेता चालान प्राप्त कर अथवा आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किश्त की राशि जमा कर सकता है।

vi. क्रेता द्वारा **Pay full Installment** बटन पर क्लिक कर चालान प्राप्त कर अथवा आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से सम्पूर्ण किश्त की राशि जमा कर सकता है।

14. ऑनलाईन क्रेता करारनामा निष्पादन की प्रक्रिया -

क्रेता के पास क्रेता करारनामा को ई-साइन करने के लिये **(Digital Signature Certificate DSC)** होना आवश्यक है। क्रेता द्वारा उसी **DSC** का उपयेाग करना होगा जिसका उपयोग कर ई-निविदा में भाग लिया गया था अन्य किसी भी **DSC** का उपयेाग करने पर क्रेता करारनामा **Digitally Signed** नहीं माना जावेगा । **POST BID SALE MANAGEMENT SYSTEM Portal cgmf.project247.in** के माध्यम से केता करारनामा निष्पादन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना हैः-

1. केता द्वारा **PBSMS** के माध्यम से आबंटित लॉट के लिये 15 प्रतिशत की प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने के उपरांत केता करारनामा स्वतः जारी हो जावेगा।
2. जारी करारनामा को केता द्वारा डाउनलोड किया जाकर **DSC** के माध्यम से **Digitally Sign** कर **PBSMS** में अपलोड किया जावेगा।
3. केता द्वारा करारनामा की **Digitally Signed** की प्रति स्वतः वृत्त कार्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। इस प्रति को वृत्त कार्यालय द्वारा केता करारनामा डाउनलोड किया जाकर मुख्य वन संरक्षक के **DSC** के माध्यम से **Digitally Sign** कर **PBSMS** में अपलोड किया जावेगा।
4. मुख्य वन संरक्षक एवं केता द्वारा **DSC** के माध्यम से **Sign** किया गया केता करारनामा स्वतः मुख्य वन संरक्षक, प्रबंध संचालक जिला यूनियन एवं केता की लॉगिन पर प्रदर्शित हो जायेगा।

परिशिष्ट- IV

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2024)-I दिनांक 05.12.2023 का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक-7)

यह करार आज दिनांक ....माह.................सन्..................को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, ... वृत (जो इसके पश्चात् मुख्य वन संरक्षक के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री... आत्मज ....निवासी..............................ग्राम.............और जो (1) श्री...(2) श्री ....(3) श्री .... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदूपत्ते का व्यापार, छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 29/1964) के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपांतरणों, जहां तक वे ऐसे व्यापार को लागू है, द्वारा विनियमित होता है, और चूँकि राज्य शासन ने तेंदूपत्ते के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है और संघ ने वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य में एकत्रित किये जाने वाले तेंदूपत्ते के अग्रिम विक्रय के लिए अपनी निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2024)-I दिनांक 05.12.2023 के द्वारा निविदायें आमंत्रित की थी, और क्रेता लॉट क्रमांक .... (अंको में) ....(शब्दों में) समिति का नाम .... एवं अधिसूचित मात्रा .... (अंको में)................ .... (शब्दों में) और जिसको कथित निविदा सूचना की अनुसूची क तथा ख में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के तेंदूपत्ते के क्रय के लिए की गई प्रस्तावित दर इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित तेंदूपत्ते का दिनांक 31.03.2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं:-

1. क्रेता करारनामा की अवधि-

यह करार दिनांक...................... से प्रारम्भ होगा और दिनांक 31.03.2025 तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए।

2. करारनामे के भाग-

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचनाओं तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के

तथा इस निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में उल्लेखित सामान्य / अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्याधीन है।

3. क्रय दर आदि-

क्रेता इस लाट में संग्रहित/क्रय होने वाली मात्रा को जो कि अधिसूचित मात्रा से कम या अधिक हो सकती है को रु.................... (अंकों में) .... (शब्दों में) प्रति मानक बोरा की क्रय दर पर क्रय करेगा। लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं सरचार्ज तथा अन्य कर / उपकर भी अदा करेगा।

4. संग्रहण / क्रय एवं संग्रहण / क्रय व्यय के भुगतान एवं तेन्दू पत्ते के फड़ पर परिदान की प्रक्रिया-

(i) (अ) क्रेता जिला यूनियन की प्राथमिक वनोपज समिति .... जिसे अनुसूची ''क'' व ''ख'' में अधिक पूर्णता से वर्णित किया गया है, की अनुसूची ख में दर्शायी समस्त फड़ों पर तथा प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित किसी अतिरिक्त फड़ पर प्राथमिक समितियों द्वारा या प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहित / क्रय किये गये हरे तेन्दू पत्ते का फड़ पर परिदान संग्रहण की तिथि से अगले दो दिवस तक प्राप्त करेगा। क्रेता सीधे स्वयं संग्राहकों / निजी उत्पादकों को संग्रहण दर / क्रय मूल्य का भुगतान कर तेन्दू पत्ता कदापि प्राप्त नहीं करेगा।

नोटः- क्रेता प्राथमिक समिति द्वारा उसको दी जाने वाली प्रति मानक गड्डी जिसमें बीड़ी बनाने योग्य 50 तेन्दू पत्ते होंगे, में 2 पत्तों की कमी या वेशी बाबत् कोई आपत्ति नहीं उठायेगा।

(ब) क्रेता केवल उपरोक्त 4(i)(अ) में निर्धारित फड़ों पर ही तेन्दू पत्ता का परिदान प्राथमिक समिति से प्राप्त करेगा। अनाधिकृत फड़ / स्थल पर उपलब्ध पत्ता इस अधिनियम एवं इस करारनामे के तहत् की जाने वाली अन्य किसी कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव डाले बिना राजसात किया जावेगा।

(स) किसी भी समिति क्षेत्र में आरक्षित / संरक्षित वन सीमा के अन्दर, वनग्राम या चट्टानी क्षेत्र / नदी नाले के बालू युक्त भाग को छोड़कर, अन्य स्थानों में संग्रहण केन्द्र खोलने की अनुमति प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन द्वारा नहीं दी जा सकेगी। स्वीकृति संग्रहण केन्द्र किसी भी दशा में ग्राम की बसाहट से आधा किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थापित नहीं किये जा सकेंगे। आरक्षित / संरक्षित वन सीमा के अन्दर उपरोक्त स्थलों को छोड़कर, अन्य स्थानों पर विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन की अनुशंसा पर संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा संग्रहण केन्द्र खोलने की अनुमति दी जा सकेगी।

(ii) प्राथमिक समिति शासकीय वनों तथा भूमियों से शासन द्वारा निर्धारित प्रति मानक बोरा की दर से संग्राहक को भुगतान कर तेन्दू पत्ता संग्रहण करेगी एवं संग्रहणकाल के दौरान निजी उत्पादकों से हरा कच्चा बिना बोरों में भरा तेन्दू पत्ता शासन द्वारा निर्धारित प्रति मानक बोरा की दर से क्रय करेगी।

(iii) क्रेता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र (फड़) पर एक प्रतिनिधि रखना होगा। क्रेता ऐसे प्रतिनिधियों की सूची, फड़ का नाम, उनके हस्ताक्षर के प्रमाणित नमूनें, पता एवं फोटो सहित दो प्रतियों में प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिनांक 15.04.2024 तक प्रस्तुत करेगा। यदि प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा किसी प्रतिनिधि को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाता है तो क्रेता तत्काल उसे इस करारनामे के अधीन किसी भी कार्य करने से पृथक करेगा।

(iv) संग्रहण काल के दौरान प्रत्येक फड़ पर प्रतिदिन संग्रहित होने वाली मात्रा की जानकारी प्राथमिक समिति से फड़ पर प्राप्त करने का उत्तरदायित्व क्रेता के प्रतिनिधि का होगा। क्रेता के प्रतिनिधि को संग्रहण पुस्तिका में दर्शाये विवरण के आधार पर तेन्दू पत्ते का परिदान लेना होगा एवं तेन्दू पत्ते का परिदान लेने के तुरन्त बाद उसकी रसीद प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्राथमिक समिति के प्रतिनिधि को देना होगी। क्रेता के द्वारा परिदान प्राप्त किया हुआ पत्ता तथा संग्रहण पुस्तिका में विवरण दर्ज होने के उपरांत इस विवरण के अनुसार संग्रहण तिथि के दो दिवस बाद से परिदान न प्राप्त किया गया तेन्दू पत्ता क्रेता के जोखिम पर संग्रहण केन्द्र पर रहेगा।

(v) क्रेता प्राथमिक समिति द्वारा परिदान दिये जाने वाले तेन्दू पत्ते को प्राप्त करने से मना नहीं करेगा जब तक कि पत्ता बीड़ी बनाने के अयोग्य है। क्रेता के द्वारा अस्वीकार किये गये पत्ते पृथक से फड़ पर प्राथमिक समिति के द्वारा रखे जावेंगे तथा उप वनमंडल अधिकारी / वनमंडल अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जावेंगे। निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा अपना निर्णय क्रेता के प्रतिनिधि को फड़ पर ही सौंप दिया जावेगा जो कि अन्तिम एवं क्रेता पर बन्धनकारी होगा तथा यदि निर्णय के अनुसार पत्ता बीड़ी बनाने के योग्य है, तो इस मात्रा को भी देय किश्तों की गणना में सम्मिलित किया जावेगा। क्रेता यदि निर्णय के अगले दो दिवस के भीतर पत्तों का परिदान नहीं लेता है तो तेन्दू पत्ता क्रेता के जोखिम पर रहेगा तथा कंडिका (vi) के अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी।

(vi) यदि क्रेता शर्त क्रमांक 4(i)(अ) अथवा 4(v) में निर्धारित अवधि के भीतर पत्तों का परिदान नहीं लेता है, तब क्रेता करारनामे में उल्लंघन के लिये की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त

(अ) प्रबंध संचालक जिला यूनियन ऐसे पत्ते को क्रेता को ही निगरानी शुल्क बतौर रूपये 50.00 प्रति मानक बोरा अतिरिक्त धनराशि की वसूली करने के पश्चात् फड़ पर परिदान कर सकेगा। निगरानी शुल्क के अतिरिक्त यदि यथास्थित संघ, प्राथमिक समिति या जिला यूनियन ऐसे पत्तों की, जो कि क्रेता को बाद में परिदत्त किये जायें, सुखाई, बोरों में भराई तथा परिवहन आदि का कार्य करते हैं, तो प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित सुखाई, बोरों की कीमत, बोरों में भराई तथा परिवहन आदि का व्यय क्रेता भुगतान करेगा तथा व्यय के संबंध में प्रबंध संचालक जिला यूनियन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

अथवा

(ब) ऐसे पत्ते का निर्वर्तन संघ विक्रय से कर सकता है तथा हानि की राशि क्रेता से वसूल कर सकता है।

(vii) यदि अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा का परिदान संग्रहण केन्द्रों पर प्राथमिक समितियों द्वारा क्रेता को दिया जाता है तो वह संग्रहण केन्द्र पर परिदान लेने के लिये बाध्य है।

(viii) क्रेता हरे पत्ते का परिदान प्राप्त करने के उपरांत उसका समस्त उपचार, बोरों में भराई, हम्माली, परिवहन एवं गोदामीकरण का कार्य स्वयं करेगा एवं इन कार्यों पर आने वाला व्यय क्रेता ही वहन करेगा। 44" X 56" नाप के वास्तविक बोरा में गड्डियों की संख्या किसी भी दशा में 500 से कम नहीं होगी। फड़ों पर पत्ते की दीमक एवं अन्य कीटों से रक्षा करने के लिए फड़ का उपयुक्त कीटनाशक से उपचार करने का दायित्व भी क्रेता का है। अतः संग्रहण एवं परिदान के बीच की अवधि में दीमक या अन्य कीट से होने वाली क्षति का दायित्व क्रेता का ही होगा।

(ix) प्राथमिक समितियों के सीमा विवाद के संबंध में प्रबंध संचालक जिला यूनियन का निर्णय अंतिम एवं क्रेता पर बंधनकारी होगा।

(x) यदि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा क्रेता को बोरे तथा सुतली की मात्रा, स्वविवेक से प्रदाय हेतु सूचित की जाती है तो क्रेता उसे प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान कर प्राप्त करने के लिये बाध्य होगा। क्रेता को जिला यूनियन द्वारा उपरोक्तानुसार प्रदाय किये जाने वाले बोरों एवं सुतली के लिये राशि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के नाम से शर्त क्रमांक 13(ii) अनुसार मय कर / उपकर दिनांक 01.05.2024 तक भुगतान करना होगा। पूर्ण भुगतान उपरांत ही क्रेता वास्तव में सुतली एवं बोरे प्राप्त कर सकेगा।

(xi) क्रेता द्वारा जिला यूनियन द्वारा प्रदाय किये गये बोरों पर पूर्व से अंकित मार्का बोरा भरने के पूर्व स्पष्टतः काट दिया जावेगा। यदि परिवहन के दौरान कोई ऐसा बोरा बिना मार्का काटे पाया जाता है तो वह अवैध संग्रहण एवं परिवहन मानकर जप्ती योग्य होगा। क्रेता को जिला यूनियन द्वारा प्रदाय किये गये बोरे तथा स्वयं के द्वारा क्रय किये गये बोरे पर संग्रहण वर्ष, जिला यूनियन का नाम, प्राथमिक समिति का नाम, क्रेता का नाम, फड़ का नाम, फड़ का बोरा क्रमांक तथा गडिड्यों की संख्या हरा रंग से स्पष्ट अंकित करना होगा। गोदाम में काले रंग से गोदाम का बोरा क्रमांक स्पष्ट अंकित करना होगा।

5. अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का भुगतान-

यदि संग्रहित मात्रा अधिसूचित मात्रा से 10% से अधिक है तो संग्रहित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की यदि क्रेता चाहे तो सम्पूर्ण 25% प्रतिभूति निक्षेप की राशि चालान के माध्यम से **Post Bid Sale Management System में ऑनलाइन जमा करा सकता है** अथवा 10% प्रतिभूति निक्षेप की राशि चालान के माध्यम से **Post Bid Sale Management System के माध्यम से ऑनलाइन जमा करा सकता है** तथा 15 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप की राशि बैंक गारंटी के माध्यम से जमा करना होगा।

क्रेता के द्वारा गोदामीकरण की स्थिति में गोदाम से आंशिक / पूर्ण पत्ता मुक्त होने या दिनांक 15.07.2024 में जो पहले हो तथा फड़ से पत्ता मुक्त कराने की स्थिति में अतिरिक्त पत्ता मुक्ति के आदेश के जारी होने से पूर्व भुगतान करना होगी। विलम्ब से भुगतान करने की दशा में 0.035% प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क देय होगा।

6. पत्तों की निकासी एवं क्रेता के द्वारा शेष देय राशि का भुगतान-

(i) (क) यदि क्रेता चाहे तो वह अधिसूचित मात्रा के आधार पर समस्त अवशेष देय राशि का भुगतान कर फड़ से अधिसूचित मात्रा तक तेन्दू पत्ता जहां ले जाना चाहे, उसके लिए गोदाम का स्थाान व पूर्ण पता तथा गोदाम मालिक का नाम, दूरभाष व पूर्ण पता की जानकारी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को देकर अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ले जा सकता है। इस समस्त अवशेष देय राशि में संघ को इस करारनामे के अंतर्गत देय क्रय मूल्य एवं देय समस्त कर सम्मिलित होंगे। संग्रहित मात्रा के अधिसूचित मात्रा से अधिक होने की दशा में अतिरिक्त अवशेष देय राशि के भुगतान के उपरांत ही तेन्दू पत्ते को फड़ से परिवहन करने की अनुमति दी जावेगी।

(ख) यदि क्रेता समस्त अवशेष देय राशि भुगतान कर तेन्दू पत्ते को फड़ से मुक्त नहीं कराना चाहे और देय राशि को किश्तों में पटाने की सुविधा प्राप्त करने की दृष्टि से पत्ते को छत्तीसगढ़ प्रदेश के भीतर क्रेता एवं संघ के दोहरे ताले में गोदाम में रखने के लिए लिखित इच्छा दिनांक 15.04.2024 से क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 21 दिवस की अवधि में से जो भी बाद में हो, तक व्यक्त करता है तो उसे जिला यूनियन के प्रबंध संचालक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये अनुमोदित निजी गोदाम जिसका किराया उसे देना होगा, निरापद रखने के लिए अनुमति इस अधिसूचना के साथ संलग्न गोदाम किराये का त्रिपक्षीय करारनामा (परिशिष्ट VI) निष्पादन किये जाने पर ही दी जावेगी। फड़ों से गोदाम तक पत्तों के परिवहन की अनुमति इसके उपरान्त दी जावेगी। क्रेता का यह दायित्व होगा कि फड़ पर परिदान प्राप्त की गई पूर्ण मात्रा का गोदामीकरण दोहरे ताले में दिनांक 01.07.2024 तक करे। तेन्दू पत्ते के गोदाम में निरीक्षण के लिये दीवाल से न्यूनतम 2 फीट की दूरी पर ही स्टेक्स लगाये जावेंगे। यदि प्रबंध संचालक जिला यूनियन दिनांक 31.03.2024 या क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 15 दिवस की अवधि मे से जो भी बाद में हो, तक पत्र जारी कर निर्देशित करता है कि क्रेता वन विभाग /संघ/ प्राथमिक समिति/अन्य के गोदाम को किराये पर लेवे तो परिशिष्ट VI में करारनामा निष्पादन करना आवश्यक नहीं होगा तथा क्रेता उसको रू. 40/- प्रति वास्तविक बोरा किराये पर लेने के लिये बाध्य होगा तथा गोदाम में पत्ता दिनांक 15.04.2025 तक रख सकेगा, परन्तु यदि क्रेता चाहे तो रू. 40/- प्रति वास्तविक बोरा का भुगतान कर पत्ते को अपने गोदाम में क्रेता एवं संघ के दोहरे ताले में भंडारित कर सकेगा। क्रेता को प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित भंडारण क्षमता के आधार पर गोदाम किराये का एक मुश्त भुगतान दिनांक 15.05.2024 तक करना होगा।

क्रेता द्वारा अनुपातिक किराया भुगतान करने के पश्चात् गोदाम में क्रेता के द्वारा पत्ता नही रखा जाता है तो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा तय समय सीमा के भीतर इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा कि क्रेता द्वारा संघ/शासकीय गोदाम में पत्ता नहीं रखा जावेगा। ऐसी स्थिति में खाली गोदाम का उपयोग संघ अपने अविक्रित लाट के तेन्दूपत्ता भण्डारण हेतु कर सकेगा एवं इस संबंध में अग्रिम क्रेता द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जा सकेगी। अगर क्रेता इस आशय का आवेदन पत्र देता है कि वह संघ गोदाम में पत्ता रखने में इच्छुक है तो उस दशा में वह निजी गोदाम में पत्ता नहीं रख सकेगा एवं संघ गोदाम में रखने के लिय बाध्य होगा।

(ग) प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा निर्धारित गोदाम प्रभारी / अधिकृत व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त शर्त क्रमांक 6(i)(क) के अनुसार राज्य के बाहर / भीतर भंडारित किये जाने के पूर्व तथा शर्त क्रमांक 6(i)(ख) के अनुसार राज्य के भीतर दोहरे ताले में भंडारित किये जाने के पूर्व गोदाम परिसर में तेन्दू पत्ता के बोरों में गड्डियों की संख्या की जांच के लिए प्रत्येक ट्रिप में 5% बोरों की गड्डी गिनकर सत्यापित की जावेगी तथा सत्यापन का पंचनामा तैयार किया जावेगा। सत्यापन में प्रत्येक फड़ के अनुपातिक संख्या में बोरे सम्मिलित किये जावेंगे। फड़वार गिनती के दौरान गड्डियों की संख्या में औसत अधिकता जितने प्रतिशत आवेगी वह अधिकता उस फड़ से आये ट्रिप के सभी बोरों के लिए मान्य की जावेगी जिसके लिये क्रेता को क्रेता करारनामें के अन्तर्गत किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अतिरिक्त मात्रा हेतु क्रय मूल्य एवं देय करों का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। सत्यापन के लिए मजदूर क्रेता के द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे परन्तु आवश्यकतानुसार संघ भी मजदूर लगा सकेगा तथा सत्यापन का व्यय जिसका निर्धारण प्रबन्ध संचालक जिला यूनियन द्वारा किया जावेगा, क्रेता के द्वारा भुगतान सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 21 दिवस के भीतर किया जावेगा।

(घ) क्रेता देय राशि अर्थात् देय करों सहित पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में चार बराबर किश्तों में, परिशिष्ट I की शर्त क्रमांक 13(ii) में दर्शाये अनुसार निम्न तिथियों को या उसके पूर्व करेगा।

किश्त क्रमांक	तिथि
प्रथम	04-10-2024
द्वितीय	22-11-2024
तृतीय	06-01-2025
चतुर्थ	21-02-2025

(ii) सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट-
यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी। यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा। यदि अधिसूचित मात्रा से अधिक / कम संग्रहण होता है तो यह छूट संग्रहित मात्रा के लिये प्राप्त होगी।

(iii) दोहरे ताले में भंडारीकरण की दशा में क्रेता के द्वारा एक किश्त का भुगतान करने पर उसे गोदाम से एक चौथाई तेन्दू पत्ता ले जाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यदि क्रेता के द्वारा फड़ पर किसी मात्रा का परिदान प्राप्त नहीं किया गया है, या फड़ पर परिदत्त किसी मात्रा का दोहरे ताले में गोदामीकरण नहीं किया गया है तो क्रेता द्वारा भुगतान की गई किश्त की राशि का समायोजन सर्वप्रथम इन मात्राओं के मूल्य के विरूद्ध किया जावेगा। किश्तों का या अन्य किसी देय राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक न करने पर 0.035% प्रति दिन की दर से विलंबित भुगतान पर विलंब शुल्क वसूल किया जावेगा। यदि किसी किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो विलंब शुल्क की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी।

(iv) दोहरे ताले में भंडारीकरण की दशा में पत्ते क्रेता की अभिरक्षा, देखरेख, पर्यवेक्षण तथा जोखिम पर, लेकिन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के नियंत्रण में रखे जाएंगे और इस शर्त पर कि गोदाम में संघ का ताला लगाकर अथवा किसी ऐसी अन्य प्रक्रिया, जैसी कि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन ने आदेशित की हो, के अनुसार अभिगमन तथा नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार होगा।

(v) क्रेता को प्रारम्भ में गोदाम के अंदर रखे जाने वाले तेन्दू पत्ते का बीमा अग्नि एवं चोरी आदि से होने वाली संभावित हानि के लिये अनिवार्य रूप से कराना होगा। अधिसूचित मात्रा के लिए क्रय मूल्य एवं देय कर के योग की राशि का दिनांक 20.04.2024 से 30.04.2025 तक की अवधि का बीमा कराकर बीमा पालिसी की सत्यापित फोटो प्रति दिनांक 20.04.2024 तक क्रेता प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में सौपेगा। अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहण होने की दशा में दिनांक 18.06.2024 या फड़ से परिवहन प्रारंभ होने में जो भी पहले हो तक अतिरिक्त राशि की दिनांक 30.04.2025 तक की अवधि की बीमा पालिसी की सत्यापित फोटो प्रति प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में क्रेता सौंपेगा। इसके अतिरिक्त क्रेता यह भी सुनिश्चित करेगा कि तेन्दू पत्ते का बीमा ऐसी राशि के लिये होगा, जो क्रेता के ऊपर बकाया देय राशि से किसी भी

समय कम नहीं होगा। फड़ / गोदाम से परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की अनुमति अथवा जिला यूनियन कार्यालय से परिदान आदेश प्राप्त करने की अनुमति निर्धारित राशि की बीमा पालिसी क्रेता के द्वारा प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय में दिये जाने पर ही होगी। अग्नि या चोरी की दुर्घटना के कारण यदि कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा सीधे संघ को देय होगी और इस प्रकार का प्रावधान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की संतुष्टि के अधीन क्रेता को बीमा पालिसी में कराना होगा। यह गोदामीकरण सुविधा की विशिष्ट शर्तें हैं। यदि किसी भी कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की रकम संघ को अदा नहीं करती तो क्रेता उसके भुगतान के लिए बाध्य होगा। यदि बीमा कंपनी द्वारा किये गये भुगतान तथा देय राशि में कोई अंतर है तो यह क्रेता अदा करेगा। यदि किश्तों की निर्धारित तिथि के पश्चात क्षतिपूर्ति भुगतान प्राप्त होता है तो क्रेता देय राशि पर 0.035% प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क अदा करेगा।

7. करों का भुगतान-

(i) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों का भी भुगतान न कर दिया जाए।

(ii) क्रेता छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान परिशिष्ट I की शर्त क्रमांक 13(II) में दर्शाये विवरण के अनुसार करेगा। विलंब शुल्क पर भी छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत कर लिया जायेगा ।

(iii) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान उपरोक्तानुसार प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में करेगा।

8. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना-

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या प्रबंध संचालक जिला यूनियन छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत प्रावधानित प्रारूप में **विक्रय प्रमाण पत्र** प्रदान करेगा।

9. करारनामे का अनुपालन-

यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिवहन / निकासी तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन / परिपालन नहीं किया जाता है, तो पत्तों को क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा।

10. प्रतिभूति निक्षेप-

(i) क्रेता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए मुख्य वन संरक्षक के पक्ष में उसके द्वारा निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये.................................. की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है।

(ii) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।

(iii) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी।

(iv) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि (बैंक गारंटी को छोड़कर) जैसी भी स्थिति हो, में से क्रय मूल्य की 5 प्रतिशत की राशि बैंक गारंटी या नगद राशि, जैसा कि क्रेता चाहे, रोकते हुए, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् गोदाम से प्रदाय की दशा में अंतिम किश्त के विरूध्द तथा फड़ से पत्ता मुक्त होने की दशा में अंतिम भुगतान के विरूद्ध समायोजित कर ली जावेगी।

(v) उपरोक्तानुसार उप क्रडिका (IV) में दर्शाये समायोजन के उपरान्त अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की बैंक गारंटी / नगद राशि वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि, कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् क्रेता को वापस कर दी जावेगी।

11. अधिनियम का उल्लंघन आदि-

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा अधिनियम, नियमावली और इस करारनामे के प्रावधानों के किए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ / शासन को रूपया 15,000/- (पन्द्रह हजार) तक की राशि की देनगी करेगा।

12. शास्तियां-

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रूपये 10,000/- दस हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा। यदि शास्ति की राशि रूपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरूद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील मुख्य वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

13. क्रेता के करारनामे की समाप्ति-

(i) यदि क्रेता प्रथम किश्त तृतीय किश्त की देय तिथि के पूर्व या द्वितीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या तृतीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या अंतिम किश्त उसकी देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि 15 दिन के अन्दर अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो मुख्य वन संरक्षक को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य वन संरक्षक अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज कर सकेगा।

(ii) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा। करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी।

(iii) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा :-

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने।

(ब) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के स्कंध, जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु गोदाम से निकासी नहीं की हो को संघ के पक्ष में अधिहरित करने तथा गोदाम में दोहरे ताले से क्रेता का नियंत्रण समाप्त करने, परंतु यदि क्रेता शर्त 13(II) के अनुसार लाट के पुर्नजीवन का इच्छुक है, तो क्रेता करारनामे की शर्त क्रमांक 6(5) के अनुसार दिनांक 01.05.2025 से न्यूनतम दिनांक 31.10.2025 तक की बीमा पालिसी प्रबन्ध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा तथा लाट को किसी अन्य क्रेता को पुनः विक्रय तक वह गोदाम परिसर में चोरी तथा अग्नि से बचाव हेतु सुरक्षाकर्मी रख सकेगा ताकि पुर्नजीवन की दशा में पत्ते की मात्रा के संबंध में कोई विवाद न रहें। करार समाप्ति पर तुरन्त गोदाम से अपने ताले को हटाने का दायित्व क्रेता का होगा तथा इसकी पुष्टि हेतु वह प्रबंध संचालक, जिला यूनियन से पत्र प्राप्त करेगा।

(स) (एक) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते का, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने। ऐसी हानि क्रेता द्वारा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी। यदि लाट का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा / नीलाम में

नहीं हो पाता है अथवा पुनः विक्रय की स्वीकृति के पूर्व तेन्दू पत्ता अग्नि से नष्ट हो जाता है तो लाट का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। यदि पश्चातवर्ती निविदा / नीलाम में लाट का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य अथवा बीमा से प्राप्त राशि का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा। यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा। करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

संबंधित निविदा / नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदामीकरण, पर्यवेक्षण तथा बीमा इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा / नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां(-) अधिहरित की गई सत्यंकार एवं प्रतिभूति निक्षेप से प्राप्त राशि।

(दो) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,

(तीन)यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

(द)हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,

(ई)अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,

(iv) (अ) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व परन्तु दिनांक 30.09.2025 के पश्चात नहीं, बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, विलंब शुल्क, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 10,000/- पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तथा यदि केता करारनामा की शर्त क्रमांक 6(5) के अनुसार 31.10.2025 तक की बीमा पालिसी क्रेता द्वारा जिला यूनियन कार्यालय में जमा कर दी जाती है, तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर दिनांक 30.09.2025 तक बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुर्नजीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही तेंदूपत्ते के स्टाक को निकासी / परिवहन की अनुमति दी जावेगी।

(ब) यदि क्रेता शर्त क्रमांक 13(IV)(अ) में वर्णित सुविधा नहीं लेना चाहता है एवं लाट के अवशेष क्रय मूल्य के भुगतान की किश्तवार सुविधा प्राप्त करना चाहता है तथा यदि केता करारनामा की शर्त क्रमांक 6(5) के अनुसार दिनांक 31.10.2025 तक की बीमा पालिसी क्रेता द्वारा जिला यूनियन कार्यालय में जमा कर दी जाती है, तो क्रेता के आवेदन पर संघ के प्रबंध संचालक यदि चाहें तो स्वविवेक से क्रेता को किश्तवार भुगतान की सुविधा दे सकेंगे एवं उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे, परन्तु इस स्थिति में क्रेता को देय किश्तों की पूर्ण राशि, समस्त देय कर / उपकर, अधिरोपित शास्तियों की राशि, किश्तों की निर्धारित तिथि से विलम्बित अवधि के लिये देय राशि पर 0.045% प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क एवं रूपये 10,000/- पुर्नजीवन शुल्क देना होगा। पुनरीक्षित किश्तों की तिथियां प्रबंध संचालक, संघ स्वविवेक से निर्धारित कर सकेंगे, परन्तु किस्त की कोई भी देय तिथि या बढ़ी हुई करार अवधि दिनांक 30.09.2025 के उपरांत नहीं होगी । क्रेता को आवेदन के साथ रूपये 10,000/- पुर्नजीवन शुल्क एवं न्यूनतम एक देय किश्त की राशि मय देय कर / उपकर तथा किश्त पर देय विलंब शुल्क के साथ जमा करना होगी। संशोधित किश्त की तिथि को किश्त एवं देय विलंब शुल्क की राशि जमा न करने पर मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के द्वारा बगैर कोई कारण बताओ सूचना पत्रा के क्रेता करारनामा पुनः समाप्त कर दिया जावेगा। बढ़ी हुई करार अवधि में समस्त देय राशियों का भुगतान न होने पर करारनामा स्वमेव पुनः समाप्त हो जावेगा।

परंतु क्रेता द्वारा दिनांक 30.09.2025 के उपरांत एवं पुनर्विक्रय के पूर्व उक्त लॉट के देय किश्तों की पूर्ण राशि करों सहित, ब्याज 0.045% प्रतिदिन गोदाम किराया 25,000/- रूपये अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के रूप में एवं अन्य कोई देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अपने स्वविवेक का उपयोग करते हुये समयसीमा निर्धारित करेंगे एवं तद्नुसार क्रेता करारनामा की अवधि वृद्धि एवं संबंधित लॉट को पुनर्जीवित कर, तेन्दूपत्ता मुक्त करने की अनुमति दे सकेंगे ।

(v) जब भी करार को पुनर्जीवित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी तथा क्रेता पुनः गोदाम पर संघ के साथ दोहरे ताला लगा सकेगा।

(vi) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है परन्तु पूर्ण देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो भी संघ शर्त क्रमांक 13(iii) के अनुसार हकदार होगा तथा क्रेता शर्त क्रमांक 13(iv) तथा 13(v) के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

14. लेखाओं का रख-रखाव-

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा एवं ऐसे अभिलेख संग्रहण केन्द्रों, गोदामों एवं अन्य स्थानों पर रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए। संग्रहण केन्द्रों, गोदामों एवं अन्य स्थानों पर रखे जाने वाले अभिलेख किसी भी वन अधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा अधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन न करना क्रेता करारनामे का उल्लघन माना जावेगा।

15. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन-

(अ) क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा।

(ब) क्रेता जैव विविधता अधिनियम 2002 एवं छत्तीसगढ़ जैवविविधता नियम 2015 के अधीन किये जाने वाले समस्त कार्यो एवं कर्तव्यों का पालन करेगा।

16. (i) शाखकर्तन-

(अ) लाट की समस्त फड़ों के राजस्व एवं वन क्षेत्रों में शाखकर्तन का कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के द्वारा कराया जावेगा।

(ब) क्रेता लाट की समस्त फड़ों के वन क्षेत्रों में शाखकर्तन (Pruning) तथा तेन्दू पत्ता संग्रहण इत्यादि के दौरान दिनांक 15.02.2024 से 15.04.2024 तक सुनिश्चित करेगा कि इन कार्यों से वनों को आग एवं तेन्दू पत्ता के वृक्षों को अवैध कटाई से हानि न पहुँचे। उक्त अवधि में वृक्षों की अवैध कटाई अथवा तेन्दू के वृक्षों की शाखाओं की कटाई और वनों को अग्नि लगाना पूर्णतः वर्जित होंगे। क्रेता न केवल उपरोक्त हानि से रोकेगा, वरन वन विभाग को उपरोक्त हानि के होने की सूचना तथा उसके रोकने में सक्रिय और सामयिक सहयोग देगा। लाट की समस्त फड़ों के वन क्षेत्रों में दिनांक 15.02.2024 से 15.04.2024 की अवधि के दौरान वनों में पाई गई तेन्दू वृक्षों की अवैध कटाई और अग्नि से हुई हानि की पूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।

(ii) वनों की हानि-

यदि क्रेता शर्त क्रमांक-16(i)(ब) के अनुसार लाट की किसी फड़ के वन क्षेत्र को दिनांक 15.02.2024 से 15.04.2024 की अवधि में तेन्दू वृक्षों की अवैध कटाई या आग से नहीं बचा पाता है तो हानि की राशि, जिसका कि निर्धारण मुख्य वन संरक्षक के द्वारा किया जावेगा, जो कि अन्तिम एवं क्रेता पर बंधनकारी होगा, की वसूली के अतिरिक्त संग्रहित मात्रा के आधार पर क्रय मूल्य के 5% के बराबर तक की राशि क्रेता द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत की प्रतिभूति की राशि में से मुख्य वन संरक्षक द्वारा अधिहरित कर ली जावेगी।

17. तेन्दू पत्ता का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना-

क्रेता तेन्दू पत्तों का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा। लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र क्रेता के द्वारा समस्त देय राशियों के भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा।

18. स्टाम्प शुल्क का भुगतान-

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा।

19. प्रथम प्रभार-

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा तेन्दू पत्ता के लिए गये परिदान पर प्रथम प्रभार होगी।

(दो) क्रेता तेन्दू पत्तों का निर्यात या बीड़ी बनाने के लिए उनका उपयोग या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये।

20. न्यायालय की अधिकारिता-

(एक) इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा।

(दो) यदि कोई क्रेता शासन / संघ के विरूद्ध न्यायालय में जाता है तथा निर्णय शासन / संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता न्यायालयीन कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये उत्तरदायी होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी।

जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने / उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया।

साक्षीगणः-

1. ....
(हस्ताक्षर)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

नाम एवं डाक का पूरा पता

2. ....
(हस्ताक्षर)

मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक

नाम एवं डाक का पूरा पता

----------------------- वृत्त

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः-

साक्षीगणः-

1. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

क्रेता/क्रेताओं के हस्ताक्षर
नाम-...................................
डाक का पता-.........................

2. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

परिशिष्ट- VI

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2024)-I दिनांक 05.12.2023 का परिशिष्ट)

गोदाम किराये का त्रि-पक्षीय करारनामा
[क्रेता का करारनामा की शर्त क्रमांक 6 (ख)]

यह करार आज दिनांक ....माह..................सन्...................को प्रथम पक्ष प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित..............., (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उनके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री.. ......आत्मज ....निवासी................................ग्राम............. और जो (1) श्री...(2) श्री ....(3) श्री .... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो), तथा तृतीय पक्ष के श्री...आत्मज ....निवासी................................ग्राम.............और जो (1) श्री...(2) श्री ....(3) श्री .... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् गोदाम मालिक के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि क्रेता, क्रेता करारनामा (परिशिष्ट-IV) की शर्त क्रमांक- 6 (ख) में दर्शाये अनुसार क्रेता के द्वारा संग्रहण वर्ष............ के लाट क्रमांक............ की देय राशि को किश्तों में पटाने की सुविधा प्राप्त करने की दृष्टि से पत्ते को तृतीय पक्षकार के ......स्थित गोदाम में क्रेता एवं संघ के दोहरे ताले में रखने के लिये इच्छा व्यक्ति की है, तृतीय पक्षकार द्वारा गोदाम के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में (अभिलेख का नाम) प्रस्तुत किया गया है तथा गोदाम द्वितीय पक्षकार को तेन्दू पत्ता रखने के लिये किराये पर देने पर सहमति दी है तथा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा पत्ते को इस गोदाम में रखने की अनुमति प्रदान की गई है।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. क्रेता करारनामा की अवधि-

   यह करार दिनांक 01.05.2024 से प्रारम्भ होगा और जिस त्रैमास तक लाट का पूर्ण पत्ता गोदाम से क्रेता (अन्य क्रेता सहित) के द्वारा निकाल नहीं लिया जाता या दिनांक 31.12.2025 में जो भी पूर्व हो तक प्रवृत्त रहेगा। त्रैमास से तात्पर्य जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर तथा अक्टूबर से दिसंबर है।

2. करारनामे के भाग-

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचनाओं तथा इस निविदा सूचना के निबंधन तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के समस्त परिशिष्ट इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यधीन है।

3. यह कि उक्त लाट के तेन्दू पत्ते के भण्डारण हेतु द्वितीय पक्षकार तृतीय पक्षकार को रूपये (अंको में) .... (शब्दों में)................ का त्रैमासिक किराया प्रत्येक त्रैमास से पूर्व राशि प्राप्ति रसीद प्राप्त कर अग्रिम में भुगतान करेगा तथा इसके उपरान्त ही तेन्दू पत्ते की गोदाम से निकासी कर सकेगा । जून 2024 तक का गोदाम किराया द्वितीय पक्षकार द्वारा रूपये (अंको में)................... (शब्दों में) .... अग्रिम में तृतीय पक्षकार को भुगतान कर दिया गया है। गोदाम किराये के भुगतान का कोई दायित्व प्रथम पक्षकार का नहीं होगा।

4. यह कि यदि पक्षकार क्रमांक-2 को विक्रित उक्त लाट का क्रेता करारनामा मुख्य वन संरक्षक के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो भंण्डारित तेन्दू पत्ता पूर्णतया प्रथम पक्ष के अधिकार में आ जायेगा और इस पर द्वितीय पक्ष के सभी अधिकार समाप्त हो जावेगें। भण्डारित तेन्दू पत्ते का स्वामित्व लघु वनोपज संघ / शासन के पास होने के उपरांत भी जब तक कि गोदाम में भण्डारित तेन्दू पत्ते का विक्रय किसी अन्य केता को नहीं कर दिया जाता तथा अन्य केता के द्वारा गोदाम से पूर्ण तेन्दू पत्ता निकाल नहीं लिया जाता, तब तक किराये की राशि का भुगतान द्वितीय पक्षकार तृतीय पक्षकार को अनिवार्य रूप से करता रहेगा तथा पक्षकार क्रमांक-1 का अथवा उक्त लाट के अन्य केता का गोदाम किराये के भुगतान का कोई दायित्व नहीं होगा। अन्य केता के नियुक्त होने पर गोदाम खाली होने पर गोदाम के रिक्त होने की सूचना प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को दी जावेगी।

5. यह कि पक्षकार क्रमांक-3 द्वारा गोदाम में भण्डारित तेन्दू पत्ते के भण्डारण एवं निकासी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा। अन्य केता नियुक्त होने की स्थिति में किराये के भुगतान में द्वितीय तथा तृतीय पक्षकारों में विवाद होने पर भी या तीनों पक्षकारों में किसी अन्य विवाद के होने पर द्वितीय तथा तृतीय पक्षकार अन्य केता या प्रथम पक्षकार के साथ गोदाम में भण्डारित पत्ते पर नियंत्रण अथवा पत्ते की निकासी में भी कोई विवाद / व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। तृतीय पक्षकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार को तथा अन्य केता को गोदाम तक पहुंचने की निर्बाध सुविधा प्रत्येक दिवस प्रातः 5.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक उपलब्ध कराई जावेगी, भले ही गोदाम तृतीय पक्षकार के किसी ऐसे परिसर में स्थित हों, जिसको कि तृतीय पक्षकार द्वारा अन्य ताले से बंद किये जाने से इस गोदाम तक पहुंचना संभव नहीं होता है।

6. यदि द्वितीय एवं तृतीय पक्षकार द्वारा इस कारारनामें की किसी शर्त (शर्त क्रमांक-7 सहित) का उल्लंघन किया जाता है, तो किसी अन्य वैधानिक कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव डाले बिना प्रथम पक्षकार द्वारा रूपये 50,000/- तक की शास्ति प्रति उल्लंघन अधिरोपित की जा सकेगी तथा बारंबार अथवा गंभीर उल्लंघन की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा यह करारनामा समाप्त भी किया जा सकेगा एवं ऐसी समाप्ति की दशा में प्रथम पक्ष भण्डारित तेन्दू पत्ता की पूर्ण अवशेष मात्रा को अपने अधिपत्य में ले सकेगा एवं कहीं भी परिवहन / भण्डारण कर सकेगा। शास्ति अधिरोपित तथा करारनामा समाप्ति पर द्वितीय / तृतीय पक्षकार का नाम 5 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में भी दर्ज किया जा सकेगा। द्वितीय / तृतीय पक्षकार को काली सूची में दर्ज किये जाने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ उससे किसी प्रकार का व्यापारिक या अन्य सव्यवहार नहीं करेगा। शास्ति अधिरोपित / करारनामा समाप्त / काली सूची में दर्ज किये जाने से पूर्व प्रथम पक्षकार कारण बताओ सूचना जारी करने की तिथि से 10 दिवस की अवधि द्वितीय / तृतीय पक्षकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रदाय करेगा। करारनामें की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, के सम्बंध में प्रथम पक्षकार का निर्णय अंतिम तथा द्वितीय तथा तृतीय पक्षकार पर बंधनकारी होगा।

7. कंडिका-6 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के उपरान्त द्वितीय / तृतीय पक्षकार जब तक कारण बताओ सूचना पत्र का निर्णय नहीं हो जाता तथा शास्ति प्रथम पक्षकार को भुगतान नहीं कर दी जाती तब तक द्वितीय / तृतीय पक्षकार अपनी किसी अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं कर सकेगें ।

8. यदि कंडिका-6 में अधिरोपित शास्ति प्रथम पक्षकार के द्वारा नोटिस जारी करने की तिथि से 21 दिवस के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो प्रथम पक्षकार यह राशि द्वितीय / तृतीय पक्षकार की संघ / वन विभाग के पास उपलब्ध किसी राशि या वनोपज के विक्रय से या राजस्व के बकाया की भांति वसूली कर सकेगा।

9. इस करार के अधीन उद्भूत होने वाले सभी विवाद छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होंगे।

10. निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और द्वितीय पक्षकार एवं तृतीय पक्षकार को परिदत्त किया गया :-

साक्षीगण :-

1. ....
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

2. ....
(हस्ताक्षर)

प्रबंध संचालक, जिला यूनियन................

नाम एवं डाक का पूरा पता

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में द्वितीय पक्षकार एवं तृतीय पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर किये गये :-

साक्षीगण :-

1. ....
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

2. ....
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर (क्रेता)
नाम.................................
डाक का पता.......................

तृतीय पक्षकार के हस्ताक्षर (गोदाम मालिक)
नाम.................................
डाक का पता.......................